न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–131/2019
सी.आई.एस. 92/2019

03-04-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। वादी की ओर से हाजिरी दी गई। प्रतिवादी सं0–1 व 2 की ओर से आवेदन दिनांक–17.09.2019 आदेश 7 नियम 11ए एवं डी के अंतर्गत दाखिल किया गया एवं वादी ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण अपने आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि वादी ने प्रस्तुत वाद में दिनांक–15.03.2018 के माध्यम से अपंजीकृत एकरारनामा के आधार पर वादपत्र के अनुसूची–1 के सम्पत्ति से संबंधित संविदा के विशिष्ट निष्पादन से संबंधित अनुतोष को पाने के लिए लाया है। उक्त एकरारनामा जो वादपत्र का भाग है जो वाद का मूल आधार है, जिसकी एक प्रतिलिपि वादपत्र के साथ भी दाखिल की गई है। उक्त एकरारनामा यह इंगित करता है कि एकरारनामा के अनुपालन में प्रस्तावित केता को दखल दिया गया और इस प्रकार उक्त एकरारनामा धारा 17 (1ए), पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य है। इसलिए एकरारनामा साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य है तथा प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत अनुतोष को पाने के लिए विचारणीय नहीं हो सकता। वादी को बिक्री के लिए अपंजीकृत एकरारनामा के आधार पर वाद दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वादपत्र वाद हेतुक का खुलासा नहीं करता है और एकमात्र इसी आधार पर यह नामंजूर करने योग्य है। प्रस्तुत वाद में वादपत्र के उक्त अशक्तता के कारण वादी को सफलता का कोई अवसर नहीं है और इसलिए यह वांछित है कि न्यायसंगतता और सद्विवेकता के मद्देनजर वादपत्र को इसी चरण में खारिज किया जाय, अन्यथा वाद के विचारण को व्यर्थ साबित करना होगा और यह वाद के विचारण का दुरुपयोग होगा। अतः वादपत्र को नामंजूर करने की कृपा की जाय।

वादी प्रत्युत्तर के माध्यम से अभिकथन करते हैं कि प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन न तो विधि और न ही तथ्य के आधार पर पोषणीय है, और इसलिए उक्त आवेदन खारिज करने योग्य है। वादी ने प्रस्तुत वाद निम्न अनुतोषों को पाने के लिए लाया है :– (I) प्रस्तुत मामले के न्यायनिर्णय के पश्चात् बिक्री पत्र दिनांक–15.03.2018 के लिखित एकरारनामा के आलोक में वादपत्र के अनुसूची–1 के सम्पत्ति से संबंधित संविदा के विशिष्ट निष्पादन का डिक्री वादी के पक्ष में किया जाय तथा प्रतिवादी के विपक्ष में यह निर्देशित करते हुए किया जाय कि विद्वान कोर्ट के द्वारा तय किए समयसीमा के अंदर वादी से शेष प्रतिफल राशि प्राप्त करने के पश्चात् वादपत्र के अनुसूची–1 के सम्पत्ति से संबंधित एब्सल्यूट सेल डीड वादी के पक्ष में निष्पादित करें, ऐसा नहीं कर पाने पर उक्त से संबंधित सेल डीड शेष प्रतिफल राशि डिपोज़िट करने के पश्चात् कोर्ट की प्रकिया के माध्यम से वादी के पक्ष में निष्पादित किया जाय और उसके पश्चात् वादी को वादपत्र के अनुसूची–1 के सम्पत्ति पर खास एवं शांतिपूर्ण दखल–कब्जा

दिया जाय। (II) एड्–अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति को वाद के निबटारे तक बिक्री तथा अन्य के माध्यम से उसके भौतिक विशेषताओं को परिवर्तित करने से रोका जाय। (III) वाद का खर्च वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विपक्ष में निर्णित किया जाय। (IV) अन्य कोई भी अनुतोष, जो उचित हो वह वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विपक्ष में निर्णित किया जाय। चूंकि वादी द्वारा अपने वादपत्र में प्रस्तुत मामले में पक्षकारों से संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से कथन किया गया है, इसलिए वादी द्वारा उनके सभी अभिवचनों को प्रस्तुत आवेदन के एक भाग के रूप में अपनाया जाय। यह विधि का एक तय सिद्धांत है कि आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता के निर्धारण के समय, वादपत्र में किए गए कथन ही विचारणीय होते हैं। वादपत्र के प्रकथन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण वादपत्र में वादी द्वारा कहीं भी यह प्रार्थना नहीं किया गया है कि बिक्री के लिए लिखित एकरारनामा दिनांक–15.03.18 के आधार पर वादपत्र के अनुसूची–1 के सम्पत्ति को प्रतिवादीगण ने वादी के दखल–कब्जे में लाया है, जबकि वादी द्वारा मांगे के अनुतोष सं0–1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र के अनुसूची–1 के सम्पत्ति से संबंधित दखल–कब्जे का प्रार्थना किया है और मात्र इसी आधार पर प्रत्युत्तर से संबंधित सम्पूर्ण आवेदन खारिज करने के योग्य हो जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में विक्रय के लिए सम्पूर्ण लिखित एकरारनामा दिनांक–15.03.18 में मात्र इसी में यह वर्णित किया गया है कि विक्रय के लिए एकरारनामा दिनांक–15.03.18 के आधार पर उक्त के विक्रेता, उक्त के केता को बिक्री किए गए सम्पत्ति के दखल–कब्जे में लाये और इसलिए प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन भी उपरोक्त आधार पर किसी भी प्रकार से खरे नहीं उतरते हैं। जहां तक प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन में प्रतिवादीगण द्वारा लगाए गए आरोप का संबंध है, वह पूर्णतः झूठा और जाली है और इसलिए वादी द्वारा नहीं माना जाता है। वादपत्र के पारा–15 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी ने प्रस्तुत वाद के वाद–हेतुक का स्पष्टतः खुलासा किया है और इसलिए यह कथन कि वादी द्वारा वादपत्र में वाद–हेतुक नहीं लाया गया है, स्वतः निराधार होता है और इसलिए उक्त में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि विधि का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि वाद–हेतुक का खुलासा करने तथा वैध वाद–हेतुक नहीं पाने में बहुत बड़ा अंतर है। अतः उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन में किसी प्रकार का कोई मेरिट नहीं है, इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–17.09.19 को न्यायहित में खारिज करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन एवं परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी के द्वारा दिया गया आवेदन आदेश 7 नियम 11ए व डी सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत यह प्रावधानित है कि वादपत्र किन दशाओं में नामंजूर किया जायेगा जो कि नियम क में

लगातार...

...लगातार

T.S. 131/19
CIS 92/19

स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि जहां वादी को वादपत्र में वर्णित तथ्यों से वाद–हेतुक प्रकट नहीं होता है, तो वादी का वादपत्र नामंजूर किया जायेगा एवं उपनियम घ में यह प्रावधानित किया गया है कि जहां कि वादपत्र में, के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, तो वैसी परिस्थिति में वादी का वादपत्र नामंजूर किया जायेगा। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रार्थी के द्वारा अपने दिए गए आवेदन में वर्णित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष नहीं रखा है कि किस प्रकार वादी को अपने वादपत्र के माध्यम से वाद–हेतुक प्राप्त नहीं है एवं वादी का वादपत्र किस विधि द्वारा वर्णित तथ्यों को विधि द्वारा वर्जित किया गया है, यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रार्थी द्वारा वर्णित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के आवेदन को न्यायहित में खारिज किया जाता है। वाद दिनांक–12.05.2023 अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी